न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2004/00009

मिसल नम्बर– 190/2006

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1.लच्छीराम पुत्र श्री उदा
2.मोतीलाल पुत्र श्री कान्हा मृतक जरिये कायम मुकाम–
2/1.भैरूलाल आत्मज मोतीलाल निवासी पुरोहित की टापरी कोटा जं0
2/2.राजबाई पुत्री मोतीलाल निवासी खारी बावड़ी कोटा
2/3.फूला बाई पुत्री मोतीलाल पत्नी लादू जी निवासी देवली जिला टोंक
3.हरीओम पुत्र सोहनलाल
4.मानसिंह पुत्र बच्चनलाल निवासी पुरोहित जी की टापरी कोटा

–:निर्णयः–

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

दिनांक 23/2/26

उपस्थितिः–

1. सरकार पैरोकार
2. अप्रार्थी नं0 2 अधिवक्ता श्री राकेश प्रजापति।

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि विवादाग्रस्त आराजी विगत जमाबंदी सम्वत 2013–16 के ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में ख0नं0 1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज रिकार्ड थी। उक्त विवाद ग्रस्त आराजी को भू प्रबंध कार्यवाही 2016–24 में नवीन ख0नं0 1 रकबा 18 बिस्वा ख0नं0 1/375 रकबा 13 बिस्वा भूमि बनाई जाकर अप्रार्थी लक्ष्छीराम वल्द उदा हि0 1/2 मोती वल्द कान्हा कौम चमार मेघवंशी सा0 पुरोहित जी की टापरी हि0 1/2 में दर्ज की गई है। उक्त विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 1 रकबा 18 बिस्वा ख0नं0 1/375 रकबा 13 बिस्वा भूमि सम्वत 2030 से 2033 तक रामनारायण व गोपी पुत्र लच्छीराम 1/2 मोतीलाल पुत्र कान्हा 1/2 लश्करी सा0 पुरोहित जी की टापरी के दर्ज रेकार्ड रही थी। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

2/3 फूला बाइ पुत्री मोतीलाल पत्नी लादू जी
निवासी देवली जिला टोंक

कोटा दिनांक 30/09/24

विवादग्रस्त आराजी को भू प्रबंध कार्यवाही 2038–57 में गत ख0नं0 1 व 1/375 को नवीन ख0नं0 1 रकबा 0.62 व ख0नं0 25 रकबा 0.14 ख0नं0 26 रकबा 0.14 है0 भूमि बनाई जाकर हरिओम पुत्र सोनेलाल मानसिंह पुत्र बच्चन जाति धोबी सा0 पुरोहित जी की टापरी के खाते दर्ज कर दी गई। वर्तमान ख0नं0 25/0.14, 26/0.14 गत ख0नं0 1 व 1/375 तथा उससे पूर्व ख0नं0 1 से बनाई गई है जो भूमि सम्वत 2013–16 में सिवाचक दर्ज रेकार्ड थी। रंगतालाब उर्फ कालातालाब में स्थित विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 1 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा भूमि की जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल तथा उससे बने ख0नं0 1 व 1/375 सेटलमेन्ट जमाबन्दी 2016–24 व 2030–33 तथा सेटलमेन्ट जमाबन्दी 2038 से 57 नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है। उक्त विवाद भूमि का अप्रार्थीगणों के पक्ष में अवैध रूप से इन्द्राज रेकार्ड होना प्रमाणित होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब के वर्तमान ख0नं0 25 रकबा 0.14 व ख0नं0 26 रकबा 0.14 है0 भूमि को सिवायचक करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रंगतालाब की कृषि आराजी खसरा नं0 1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि सिवाई चक रिकॉर्ड दर्ज थी जो अप्रार्थीगण के दादा जी कान्हा उदा दरबार के समय से कृषि करते आ रहे है उसके पश्चात सरकार द्वारा उन्हें खाते में दर्ज की गई थी तब से ही वह उस पर काबिज काश्त करते रहे उनके पश्चात उनके वारिस मोतीलाल ने काश्त की थी। सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान खसरा नं0 1 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा के नये ख0नं0 1 रकबा 18 बिस्वा, ख0नं0 1/375 रकबा 13 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि को अप्रार्थीगण के पिता मोतीलाल के नाम रिकॉर्ड दर्ज करना चाहिये था। अप्रार्थी कम 2 लक्ष्छीराम वल्द उदा का नाम गलत रूप से ही अंकित किया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। नकल जमाबंदी सम्वत 2030 से 2033 तक में लच्छीराम की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान रामनारायण व गोपी पुत्र लच्छीराम का नाम रिकॉर्ड हिस्सा 1/2 अंकित कर दिया है जो गलत है जबकि सम्पूर्ण आराजी में मोतीलाल पुत्र कान्हा लश्करी का नाम रिकॉर्ड अंकित होना चाहिये। गत ख0नं0 1 व ख0नं0 1/375 के जमाबन्दी सम्वत 2038–57 के अनुसार नवीन ख0नं0 1 रकबा 0.62 व ख0नं0 25 रकबा 0.14 ख0नं0 26 रकबा 0.14 है0 डालकर गलत रूप से हरिओम पुत्र सोनेलाल, मानसिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति धोबी पुरोहित जी की टापरी के गलत रूप से रिकॉर्ड अंकित कर दी है जिसमें दुरूस्ती करते हुये अप्रार्थीगण के खाते में रिकॉर्ड किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
को

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057, जमाबंदी संवत् 2013 से 2016 खाता सं0 106, जमाबंदी संवत् 2013 से 2016 खाता सं0 118, जमाबंदी 2030 से 2033 खाता सं0 103 संलग्न किया गया है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 25 रकबा 0.14 है0 यू0आई0टी0 के खाते है तथा खसरा नं0 26 का 0.04 है0 भी कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज है एवं खसरा नं 26 का शेष रकबा 0.10 है0 खातेदार नरेन्द्र के नाम दर्ज है। जिसे प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है और ना ही कोटा विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि भूमि कोटा विकास प्राधिकरण के खाते किस प्रकार दर्ज हुई। ना ही किसी भी अप्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भूमि कोटा विकास प्राधिकरण के खाते किस प्रकार दर्ज हुई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनापूर्वक अध्ययन किया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य को प्रमाणित करने मे तहसीलदार लाडपुरा असफल रहा है। अतः हमारे विनम्र मत मे पूर्ण तथ्यों, दस्तावेजों, तथा खाते के पूर्ण विवचेन के अभाव मे यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा खसरा नं0 26 के रकबा 0.10 है0 के लिए पृथक से वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ राजस्थान

2/3 फूला बाई पुत्री मोतीलाल पत्नी लादू जी
निवासी देवली जिला टोंक

कोटा दिनांक 30/09/24